

an>

Title: Introduction of Missing Children (Faster Tracking and Reuniting) Bill, 2019

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अपहरण, व्यपहरण, प्रलोभन किए जाने के कारण गुमशुदा होने वाले अथवा अपघरों से भाग जाने वाले बालकों की शीघ्र खोज करने और उन्हें पुनः मिलाने हेतु गुमशुदा बालकों को खोजने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों सहित पुलिस स्थापनों में विशेष प्रकोष्ठ का निर्माण करने, तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने, टेलीविजन, समाचारपत्रों और सोशल मीडिया में गुमशुदा बालकों की फोटो और उनका ब्यौरा प्रदर्शित करने, जिससे गुमशुदा बालकों का पता लगाने के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित की जा सके और उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

***m02 HON. CHAIRPERSON:** The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for faster tracking and reuniting the children, who go missing due to abduction, kidnapping, luring or runaway from their homes; establishment of Special Cells in Police establishments with specifically trained personnel to trace missing children; for immediate registration of F.I.F for flashing photograph and details of missing children in television newspapers and social media so as to put in place proper mechanism to trace missing children and for matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

डॉ. मनोज राजोरिया : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Item nos. 53 and 54, Shrimati Locket Chatterjee not present.

Item no. 55, Shri Midhun Reddy.